"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2014—— आषाढ़ 30, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पं. ग्रा. वि. वि./22/2014/923. — छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 10 की उपधारा (3) में प्रत्येक जिले [अधिनियम की धारा 2 (तीन) में वर्णित राजस्व जिला] के लिए जिला पंचायत की स्थापना हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार, राज्य शासन एतद्द्वारा दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर 09 नवीन जिला पंचायतें यथा सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर के गठन उपरांत अधिनियम के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई संलग्न अनुसूची के कालम नं. 02 में विनिर्दिष्ट जिलों के लिए अनुसूची के कालम नं. 04 में उल्लेखित नाम से जिला पंचायत स्थापित करता है, जिनमें उक्त अनुसूची के कालम नं. 03 में विनिर्दिष्ट राजस्व जिले या उसके भाग समाविष्ट होंगे.

उक्त स्थापित होने वाले जिला पंचायतों में अधिनियम की धारा 8 (ग) के अनुसार जिला पंचायत का गठन किया जावेगा. इस प्रकार गठित जिला पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होगी.

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी, यह और भी कि अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन यह भी आदेश करता है, कि इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाली जिला पंचायतें दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं सरगुजा आगामी सामान्य निर्वाचन के उपरांत अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन नवगठित जिला पंचायतें सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन के आयोजन तक पूर्ववत् अस्तित्व में बनी रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

अनुसूची

क्र. (1)	अधिनियम के प्रयोजन हेतु जिले का नाम (2)	राजस्व जिला, उसके भाग का नाम जो इसमें सम्मिलित है (3)	जिला पंचायत का नाम (4)
1.	दंतेवाड़ा	**दंतेवाड़ा** (1. छिंदगढ़ 2. सुकमा 3. कोन्टा तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	दंतेवाड़ा
2.	सुकमा	**सुकमा** (1. छिंदगढ़ 2. सुकमा 3. कोन्टा तहसील)	सुकमा
3.	बस्तर	**बस्तर** (1. केशकाल 2. बड़ेराजपुर 3. माकड़ी 4. कोण्डगांव 5. फरसगांव तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	बस्तर
4.	कोण्डागांव	**कोण्डागांव** (1. केशकाल 2. बड़ेराजपुर 3. माकड़ी 4. कोण्डगांव 5. फरसगांव तहसील)	कोण्डागांव
5.	रायपुर	**रायपुर** (1. बिलाईगढ़ 2. कसडोल 3. बलौदाबाजार 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा 7. फिंगेश्वर 8. छुरा 9. गरियाबंद 10. मैनपुर 11. देवभोग तहसील छोड़कर जिले का शेष भाग)	रायपुर
6.	बलौदाबाजार	**बलौदाबाजार** (1. बिलाईगढ़ 2. कसडोल 3. बलौदाबाजार 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा तहसील)	बलौदाबाजार
7.	गरियाबंद	**गरियाबंद** (1. फिंगेश्वर 2. छुरा 3. गरियाबंद 4. मैनपुर 5. देवभोग तहसील).	गरियाबंद
8.	दुर्ग	**दुर्ग** (1. नवागढ़ 2. बेमेतरा 3. बेरला 4. साजा 5. थानखम्हरिया 6. डौण्डी 7. डौण्डीलोहारा 8. गुरूर 9. बालोद 10. गुण्डरदेही तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग).	दुर्ग
9.	बेमेतरा	**बेमेतरा** (1. नवागढ़ 2. बेमेतरा 3. बेरला 4. साजा 5. थानखम्हरिया तहसील).	बेमेतरा
10.	बालोद	**बालोद** (1. डौण्डी 2. डौण्डीलोहारा 3. गुरूर 4. बालोद 5. गुण्डरदेही तहसील)	बालोद

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	बिलासपुर	**बिलासपुर** (1. मुंगेली 2. पथरिया 3. लोरमी तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	बिलासपुर
12.	मुंगेली	**मुंगेली** (1. मुंगेली 2. पथरिया 3. लोरमी तहसील)	मुंगेली
13.	सरगुजा	**सरगुजा** [1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. ओड़गी 4. रामानुजनगर 5. प्रेमनगर 6. प्रतापुपर 7. बलरामपुर 8. रामचन्द्रपुर (रामानुजगंज) 9. वाड्रफनगर 10. राजपुर 11. कुसमी 12. शंकरगढ़ तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग]	सरगुजा
14.	सूरजपुर	**सूरजपुर** (1. सूरजपुर 2. भैयाथान 3. ओड़गी 4. रामानुजनगर 5. प्रेमनगर 6. प्रतापुपर तहसील)	सूरजपुर
15.	बलरामपुर	**बलरामपुर** [1. बलरामपुर 2. रामचन्द्रपुर (रामानुजगंज) 3. वाड्रफनगर 4. राजपुर 5. कुसमी 6. शंकरगढ़ तहसील]	बलरामपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक/पंचा./पं. ग्रा. वि. वि./22/2014/924. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पं. ग्रा. वि. वि./22/2014/923, दिनांक 21-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

Raipur, the 21st July 2014

NOTIFICATION

No./P/PGVV/22/2014/ 923. — In accordance with provision contained in Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 year 1994) sub-section (3) of section 10 to estabilish Zila Panchayat in each district [Revenue district described in section 2 (three) of Adhiniyam] State Government, after creation of 09 new districts Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur and Balrampur by reconstituting Dantewada, Basstar, Raipur, Durg, Bilaspur and Surguja district, hereby establishes Zila Panchayat in the name mentioned in Column No. 04 for the district mentioned in column No. 2 of Schedule attached herewith, wherein revenue district or their parts mentioned in column No. 3 shall be included.

Zila Panchayat shall be constituted in accordance with section 8 (c) of Adhiniyam, Zila Panchayat thus constituted shall have all other essential powers mentioned in section 11 of the Adhiniyam for the purpose of Adhiniyam.

The Notification will be enforced from the date of issue, by using powers given in sub-section (3) of section 127 of Adhiniyam, State Government makes order that Zila Panchayat Dantewada, Bastar, Raipur, Durg, Bilaspur and Surguja affected by this notification, will remain in existence till first meeting of newly created Sukma, Kondagaon, Balodabazar, Gariyaband, Bemetara, Balod, Mungeli, Surajpur and Balrampur under the sub-section (1) of section 34 of Adhiniyam after the forth coming general election.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Deputy Secretary.

SCHEDULE

No. (1)	Name of Districts for the purpose of Adhiniyam (2)	Name of Revenue District/ Its parts included (3)	Name of Zila Panchayat (4)
1.	Dantewada	DANTEWADA (Remaining parts of district excluding 1. Chhindgarh 2. Sukma 3. Konta Tehsil)	Dantewada
2.	Sukma	SUKMA (1. Chhindgarh 2. Sukma 3. Konta)	Sukma
3.	Bastar	BASTAR (Remaining parts of district excluding 1. Keshkal 2. Baderajpur 3. Makdi 4. Kondagaon 5. Pharasgaon Tehsil)	Bastar
4.	Kondagaon	KONDAGAON (1. Keshkal 2. Baderajpur 3. Makdi 4. Kondagaon 5. Pharasgaon)	Kondagaon
5.	Raipur	RAIPUR (Remaining parts of district excluding 1. Bilaigarh 2. Kasdol 3. Baloda-bazar 4. Palari 5. Bhatapara 6. Simga 7. Fingeshwar 8. Chhura 9. Gariyaband 10. Mainpur 11. Devbhog Tehsil)	Raipur

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Balodabazar	BALODABAZAR (1. Bilaigarh 2. Kasdol 3. Balodabazar 4. Palari 5. Bhatapara 6. Simga)	Balodabazar
7.	Gariyaband	GARIYABAND (1. Fingeshwar 2. Chhura 3. Gariyaband 4. Mainpur 5. Devbhog)	Gariyaband
8.	Durg	DURG (Remaining parts of district excluding 1. Nawagarh 2. Bemetara 3. Berla 4. Saja 5. Thankhamariya 6. Daundi 7. Daundilohara 8. Gurur 9. Balod 10. Gundardehi Tehsil)	Durg
9.	Bemetara	BEMETARA (1. Nawagarh 2. Bemetara 3. Berla 4. Saja 5. Thankhamariya)	Bemetara
10.	Balod	BALOD (1. Daundi 2. Daundilohara 3. Gurur 4. Balod 5. Gundardehi)	Balod
11.	Bilaspur	BILASPUR (Remaining parts of district excluding 1. Mungeli 2. Pathariya 3. Lormi Tehsil)	Bilaspur
12.	Mungeli	MUNGELI (1. Mungeli 2. Pathariya 3. Lormi)	Mungeli
13.	Surguja	SURGUJA [Remaining parts of district excluding 1. Surajpur 2. Bhaiyathan 3. Odgi 4. Ramanujnagar 5. Premnagar 6. Pratappur 7. Balrampur 8. Ramchandrapur (Ramanujganj) 9. Wadrafnagar 10. Rajpur 11. Kusmi 12. Shankargarh Tehsil]	Surguja
14.	Surajpur	SURAJPUR (1. Surajpur 2. Bhaiyathan 3. Odgi 4. Ramanujnagar 5. Premnagar 6. Pratappur)	Surajpur
15.	Balrampur	BALRAMPUR (1. Balrampur 2. Ramchandrapur (Ramanujganj) 3. Wadrafnagar 4. Rajpur 5. Kusmi 6. Shankargarh)	Balrampur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.